रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 738] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2016/चैत्र 3, 1937
No. 738] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2016/ CHAITRA 3 , 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च , 2016

का. आ. 1208(अ).—यत: दिल्ली मुख्य योजना-2021 में इसके मुख्य योजना संशोधन के भाग के रूप में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 3353 (अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां सुझाव आंमत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित पूछताछ और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किया गया।

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-**2021** में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में लिए निम्नलिखित संशोधन करती है।

'रिहायशी परिसरों के भीतर भवन/भवनों के लिए नियंत्रण' के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पैरा 4.4.3 में 'झ' के रूप में नया उपयोग परिसर, राज्य अतिथि गृह दिल्ली जोड़ा जाना है ।

<table>
<tr><td>अध्याय/
क्र.सं.</td><td colspan="2">एमपीडी-2021</td></tr>
<tr><td></td><td>एमपीडी-2021 का
पैरा/खंड/तालिका</td><td>प्रस्तावित संशोधन</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">अध्याय 4.0 आश्रय व्यवस्था (शैल्टर)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>पैरा 4.4.3 आवासीय परिसरों के भीतर भवन/भवनों के लिए नियंत्रण</td><td>पैरा 1 पैरा ज् 'स्टूडियो अर्पाटमेंट' के बाद शामिल किया है ।
झ. राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह
अधिकतम भूमि कवरेज 50 %

अधिकतम एफएआर 200
अधिकतम ऊंचाई - कोई प्रतिबंध नहीं (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण(एएआई)/ अग्निशमन विभाग तथा अन्य सांविधिक/सुरक्षा स्वीकृति मिलने के अधीन होगा जो समय-समय पर अपेक्षित हो सकती है)
- जोन डी के उप जोन डी-13 के मामले में, अधिकतम ऊंचाई 26 मी. निर्धारित की गई है (अगिनशमन और अन्य सांविधिक/सुरक्षा स्वीकृतियों के अधीन है जो समय-समय पर अपेक्षित हो सकती है)

अन्य नियंत्रण
प्रति 100 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र में 2 ईसीएस की दर से पार्किंग प्रदान की जानी है ।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>तालिका 4.3 उपयोग परिसर में अनुमत्य उपयोग/उपयोग गतिविधियां</td><td>स्टूडियों अपार्टमेंट के पश्चात राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह को जोड़ा जाना है ।<table><tr><td>उपयोग परिसर</td><td>परिभाषा</td><td>उपयोग/अनुमत्य उपयोग गतिविधियां</td></tr><tr><td>राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह</td><td>राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अतिथियों के लिए अल्पकालिक/ अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए सरकारी स्वामित्व</td><td>कर्मचारी रिहायशी आवास के लिए अतिथि कक्ष, सम्मेलन कक्ष तथा संबंद्ध सुविधाएं, सरकारी कार्यालय/ सोविनियर</td></tr></table></td></tr>
</table>

				वाला परिसर	दुकानें/रेस्त्रा, एटीएम और अधिकतम एफएआर के 15 प्रतिशत तक उपयोग कर सकते हैं।	

[फा. सं. के-12011/6/2015-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2016

S.O. 1208(E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its Master Plan modification which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 3353(E) dated 11th December, 2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

A new use premises, State Guest Houses has to be added in para 4.4.3 of MPD-2021 as 'I' under the para "CONTROL FOR BUILDING/BUILDINGS WITHIN RESIDENTIAL PREMISES"

Chapter/ S. No.	MPD-2021	
	Para/ Clause/ Table of MPD-2021	Proposed Modifications
1	2	3
CHAPTER-4.0 SHELTER		
1.	**PARA 4.4.3 CONTROL FOR BUILDING/ BUILDINGS WITHIN RESIDENTIAL PREMISES**	Para I. To be added after para H. "Studio Apartment" **I. State Bhawan/State Guest Houses** Max. Ground Coverage: 50%. Max. FAR: 200 Max. Height: - No Restriction (subject to clearance from AAI/Fire Department and other statutory/security clearances that may be required from time to time). - In case of Sub-Zone D-13 of Zone-D, the maximum height is capped at 26 mt (subject to Fire and other statutory/security clearances that may be required from time to time).

		Other Controls Parking to be provided @ 2ECS per 100 sq.m. of built up area.
2.	**TABLE 4.3 USES/USE ACTIVITIES PERMITTED IN USE PREMISES**	State Bhawan/State Guest Houses to be added after Studio Apartment

Use Premises	Definition	Use/Use Activities Permitted
State Bhawan/ State Guest Houses	A Government owned premise for providing the short term/transit accommodation for the guests of State Government and Central Government.	Guest Room, Conference Halls, and related facilities, Government Offices/ Souvenir shops/ Restaurant, ATM and upto 15% of maximum FAR can be utilized for staff residential accommodation.

[F. No. K-12011/6/2015-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.